an>

Title: Need to amend Section 498A of IPC.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं आईपीसी के सैक्शन 498ए से हो रहे उत्पीड़न के आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं। वर्ष 1998 से 2015 तक लगभग 27 लाख लोग अकेले इस सैक्शन से गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि किसी भी अपराध से अधिक हैं। साढ़े छः लाख औरतें, जो कि शादीशुदा व्यक्ति के रिश्ते के माध्यम से विवाहित के साथ जुड़ी हुई हैं, गिरफ्तार की जाती हैं, वास्तविकता में ये महिलाएं दाम्पत्य में नहीं रही होती हैं। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि इस देश में 7700 नाबालिग बच्चे बिना किसी जांच के शिकायत के आधार पर जेल में डाले गए हैं। इस प्रावधान को कानूनी आतंकवाद कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इस प्रताड़ना के कारण बहुत से लोग या तो आत्महत्या कर लेते हैं या शादी में शहीद करार कर दिए जाते हैं। इस बढ़ती प्रताड़ना के चलते मर्दों के हक के लिए जागरुक कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पहली बार देश में वर्ष 2016 में यूजीसी ने एक रैगुलेशन पास किया, इसके तहत मेल स्टुडेंट्स भी सैक्सुअल हॉरासमेंट अगेंस्ट मैन, वुमैन और ट्रांसजेंडर के खिलाफ शिकायत दाखिल कर सकेंगे। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके प्रति सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी चिंतित है। यह विदित है कि वर्ष 2005 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को लीगल टेररिज्म के नाम से नवाजा था।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रावधान की कमियों को दुरुस्त कर आदमियों को न्याय दिलाया जा सके।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में मैन सेल खुलवाने का प्रावधान किया जाये और धारा 498 (ए) में संशोधन किया जाये, जिससे महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे और पूर्व में रहे मुखिया को दुखिया की स्थिति में जाने से बचाया जा सके।

अंत में, मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि 'Pro-women must not be anti-men.'

माननीय अध्यक्ष :

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।